

पत्रसंख्या-स0द0/जी0एस0टी0/माल परिवहन/2017-18// 853 /1718015 //वाणिज्यकर
कार्यालय कमिश्नर, उत्तर प्रदेश
(सचलदल-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 30 जून, 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक)
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0)


विषय:- GST के सफल क्रियान्वयन के सम्बन्ध में ।

दिनांक 01-07-2017 से प्रदेश में GST लागू होने जा रहा है। दिनांक 30-06-2017 की मध्य रात्रि से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम व प्रवेश कर अधिनियम निरसित हो जाएगा। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 केवल नान जी0एस0टी0 वस्तुओं के लिए लागू रहेगा। आपको विदित है कि जी0एस0टी0 कर प्रणाली एक बहुत बड़ा कर सुधार है एवं हम सब का कर्तव्य है कि वर्तमान प्रणाली से जी0एस0टी0 प्रणाली में संक्रमण (Transition) सुचारु रूप से हो सके। अतः इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिए जाते हैं :-

1. दिनांक 01-07-2017 से माल के आयात हेतु टैक्स इन्वॉइस / बिल ऑफ सप्लाय जारी किया जाना अपेक्षित है जिस पर आपूर्तिकर्ता के पंजीकृत होने की स्थिति में GSTIN अंकित होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा-139 के प्राविधानों के अनुसार विद्यमान विधि में नियत तिथि को पंजीकृत व्यापारी जिसके पास वैध पैन है को अनन्तिम आधार पर पंजीयन प्रमाण पत्र दिया जाएगा एवं यह अनन्तिम प्रमाण पत्र, अन्तिम प्रमाण पत्र जारी किए जाने अथवा निरस्त किए जाने तक प्रभावी रहेगा। जिन व्यापारियों को अभी तक प्रोविजनल आई0डी0 जारी नहीं हो सका है उसका तात्पर्य मात्र यह है कि उन्हें अनन्तिम आधार पर प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सका है किन्तु ये जी0एस0टी0 के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे व्यापारियों द्वारा टैक्स इन्वॉइस / बिल ऑफ सप्लाय मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के अन्तर्गत जारी टिन नम्बर के साथ "प्रोविजनल आई0डी0 अप्राप्त की मोहर" लगाकर जारी किया जा सकेगा एवं इस प्रकार जारी टैक्स इन्वॉइस / बिल ऑफ सप्लाय माल के परिवहन के समय साथ होने पर माल नहीं रोका जाएगा।

2. उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा-68 के प्राविधानों के अनुसार राज्य सरकार विनिर्दिष्ट प्रपत्रों की अपेक्षा माल के परिवहन के समय कर सकती है तथा इस सम्बन्ध में प्रस्तावित नियमावली के नियम-138 में सरकार को ऐसे प्रपत्र विनिर्दिष्ट करने के अधिकार दिए गए हैं। अतः जब तक ई-वे बिल प्रपत्र विदित करते हुए प्राविधानित नहीं किया जाता है तब तक माल के संचरण के समय यदि नियमानुसार टैक्स इन्वॉइस / बिल ऑफ सप्लाय, आपूर्तिकर्ता के नाम व पते के साथ बिल्टी आदि प्रपत्र उपलब्ध होने पर भी माल को नहीं रोका जाएगा। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 में प्राविधानित प्रपत्र नान जी0एस0टी0 गुड्स के लिए यथावत प्रभावी रहेंगे। संक्रमण काल में प्रवर्तन इकाइयां जी0एस0टी0 के सफल क्रियान्वयन में व्यापारियों का सहयोग करेंगी एवं किसी भी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के आधार पर कोई वाहन अथवा माल नहीं रोका जाएगा।

उपर्युक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।


(आन्जनेय कुमार सिंह)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।